रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2011/फाल्गुन 18, 1932

No. 424] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2011/PHALGUNA 18, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2011

(आय-कर)

का.आ. 495(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करते के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2011 है ।

   (2) ये तारीख 1 अप्रैल, 2011 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 6घघक में,—

   (क) खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

   "(iv) शेयर बाजार यह सुनिश्चित करेगा कि पद्धति में एक बार रजिस्ट्रीकृत संव्यवहार (नकदी और व्युत्पन्नी बाजार की बाबत) हटाए नहीं गए हैं";

   (ख) खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

   "(v) शेयर बाजार यह सुनिश्चित करेगा कि पद्धति में एक बार रजिस्ट्रीकृत संव्यवहार (नकदी और व्युत्पन्नी बाजार की बाबत) केवल वास्तविक गलती के मामलों में उपांतरित किए गए हैं और पद्धति में रजिस्ट्रीकृत सभी ऐसे संव्यवहारों (नकदी और व्युत्पन्नी बाजार की बाबत) जिन्हें उपांतरित किया गया है, के संबंध में डाटा बनाए रखेगा तथा आय-कर महानिदेशक (आसूचना), नई दिल्ली को प्ररुप सं. 3खख में एक मासिक विवरण, ऐसे विवरण से संबंधित प्रत्येक मास के अंतिम दिवस से पंद्रह दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा ।"

3. आय-कर नियम, 1962 के नियम 6घघख, उप-नियम (2) के खंड (iii) में "खंड (iv)" शब्द, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "खंड (v)" शब्द, कोष्ठकों और अंकों को रखा जाएगा ।

4. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट II में, प्ररुप सं. 3खक के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

प्ररुप सं. 3खख

(नियम 6घघक देखें)

...............मास के लिए पद्धति में रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपांतरित किए गए ग्राहक कोड में संव्यवहारों की बाबत शेयर बाजार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला मासिक विवरण ।

1. शेयर बाजार का नाम और पता : ....

2. स्थायी लेखा सं. : ....

3. संव्यवहारों के ब्यौरे जिनमें पद्धति में रजिस्ट्रीकरण करने के पश्चात् उपांतरण किया गया है वे उपाबंध के रूप में एक सॉफ्ट कापी में परिवेष्टित हैं ।

सत्यापन

मैं ....इसके द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि ऊपर जो विशिष्टियां दी गई हैं वे सही और पूरी हैं ।

स्थान.................................... शेयर बाजार के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख.................................... नाम और पदनाम

प्ररुप सं. 3खख का उपाबंध

(साफ्ट कापी)

व्युत्पन्नी बाजार

क्र. सं.	संव्यवहार आईडी	दलाल का नाम और आईडी	मूल ग्राहक कोड	उपांतरित ग्राहक कोड	मूल ग्राहक का नाम	मूल ग्राहक का स्थायी ले.सं.	उपांतरित ग्राहक का नाम	उपांतरित ग्राहक का स्थायी ले.सं.	स्क्रिप नाम	मात्रा	दर	संव्यवहार का कुल मूल्य	क्रय या विक्रय	संव्यवहार की तारीख
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														

नकदी बाजार

क्र. सं.	संव्यवहार आईडी	दलाल का नाम और आईडी	मूल ग्राहक कोड	उपांतरित ग्राहक कोड	मूल ग्राहक का नाम	मूल ग्राहक का स्थायी ले.सं.	उपांतरित ग्राहक का नाम	उपांतरित ग्राहक का स्थायी ले.सं.	स्क्रिप नाम	मात्रा	दर	संव्यवहार का कुल मूल्य	क्रय या विक्रय	संव्यवहार की तारीख
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														

[अधिसूचना सं. 14/2011/फा. सं. 142/25/2008-एसओ(टीपीएल)]

राजेश कुमार भूत, निदेशक (कर योजना और विधान)

टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. का.आ. 2820(अ), तारीख 22 नवम्बर, 2010 द्वारा आय-कर (आठवां संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2011

(INCOME-TAX)

S.O. 495(E).—In exercise of the powers conferred by Section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (First Amendment) Rules, 2011.

   (2) They shall come into force on the 1st day of April, 2011.

2. In rule 6 DDA of the Income-tax Rules, 1962,—

   (a) for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely :—

   "(iv) the stock exchange shall ensure that transactions (in respect of cash and derivative market) once registered in the system are not erased";

   (b) after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely :—

   "(v) the stock exchange shall ensure that the transactions (in respect of cash and derivative market) once registered in the system are modified only in cases of genuine error and maintain data regarding all transactions (in respect of cash and derivative market) registered in the system which have been modified and submit a monthly statement in Form No. 3BB to the Director General of Income-tax (Intelligence), New Delhi within fifteen days from the last day of each month to which such statement relates."

3. In rule 6DDB of the Income-tax Rules, 1962, in clause (iii) of sub-rule (2), for the word, brackets and letters "clause (iv)", the word, brackets and letter "clause (v)" shall be substituted.

4. In Appendix-II of the Income-tax rules,1962, after Form No.3BA, the following Form shall be inserted, namely :—

Form No. 3BB

[See rule 6DDA]

Monthly statement to be furnished by a stock exchange in respect of transactions in which client codes have been modified after registering in the system for the month of ....

Name and address of the Stock Exchange : ....

Permanent Account Number : ....

Details of transaction in which client codes have been modified after registering in system are enclosed in a soft copy as annexure.

Verification

.... hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place .... Signature of the Principal Officer of the Stock Exchange

Date .... Name and Designation ....

Annexure to Form No. 3BB

(Soft Copy)

Derivative Market

Sl. No.	Transaction ID	Broker's name & ID	Original Client Code	Modified Client Code	Name of the original client	PAN of the original client	Name of the modified client	PAN of the modified client	Scrip name	Quantity	Rate	Total value of transaction	Buy or Sale	Date of transaction
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														

Cash Market

Sl. No.	Transaction ID	Broker's name & ID	Original Client Code	Modified Client Code	Name of the original client	PAN of the original client	Name of the modified client	PAN of the modified client	Scrip name	Quantity	Rate	Total value of transaction	Buy or Sale	Date of transaction
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														

[Notification No. 14/2011/F. No. 142/25/2008-SO(TPL)]

RAJESH KUMAR BHOOT, Director (Tax Policy and Legislation)

Note : The principal rules were published vide Notification No. 969(E), dated the 26th March 1962 and last amended by the Income-tax (Eighth Amendment) Rules, 2010 vide Notification S.O. 2820(E), dated 22nd November, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.